

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2010/वैशाख 1, 1932

No. 752]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

(आय-कर)

का.आ. 909(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के स्पष्टीकरण 2 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, ''चीन जनवादी गणतंत्र के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र'' को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 'विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र' के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 25/2010-एफटीडी-II/फा. सं. 500/124/ 97-एफटीडी-II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2010

## (Income-tax)

S. O. 909 (E).—In exercise of the powers conferred by Explanation 2 to Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China" as 'specified territory' for the purposes of the said section.

[Notification No. 25/2010-FTD-II/F. No. 500/124/97-FTD-II]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.